

फर्द अहकाम

बनाम

अर्जुन

कल्याण

प्रार्थना पत्र 69/2021

प्रायालय : सहायक कलेक्टर, बस्सी
वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण


दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

11.03.25

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगा 4,7,9,12 को जवाब हेतु अनेक अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजी ख0नं0 144 रकबा 4.9189 है0 स्थित ग्राम रुपपुरा पटवार हल्का खिजूरिया ब्राहमणान भू0अ0नि0 सांभरिया तह0 बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 80/2021 उनवान कल्याण बनाम अर्जुन के निर्णय तक विवादित आराजी पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर बाद तर्कमूल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।


सहायक कलेक्टर
बस्सी, जिला जयपुर